न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–25/2011
CIS NO. TS-141/2019

पारस साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

हरिहर साह..प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
25.11.2025	प्रतिवादी की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 09.09.2024 को प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी साक्ष्य बंद हो चुका था, जिसे मो0–1000/– रूपये के हर्जे पर 08.01.2024 को खोला गया था। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.08.2024 को साक्षी कि हाजिरी शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया तथा 1000/– रूपये का भुगतान वादी को किया, जिसे उनके अधिवक्ता प्राप्त किये। प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 08.01.2024 के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण पुनः दिनांक 29.07.2024 को प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर दिया गया है। चूंकि प्रतिवादी मजदूर व्यक्ति है इसलिए वह आजीविका के लिए मजदुरी करने हेतु पंजाब चल गया था, जिसके कारण दिनांक 08.01.2024 के आदेश का अनुपालन नहीं किया। लेहाजा प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिनांक 29.07.2024 को वापस लेकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना न्यायहित में आवश्यक है नहीं तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश दिनांक 29.07.2024 को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु रिकॉल करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–25/2011

CIS NO. TS-141/2019

पारस साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

हरिहर साह...प्रतिवादी

लगातार 25.11.2025	का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद से संबंधित सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 29.07.2024 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 09.09.2024 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 07.01.2025 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	